

निर्णय बईजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0 73 / प्रा0पत्र / 17

बैंक ऑफ बड़ौदा

शाखा:- भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योरिटी क्रेडिटर

बनाम

मेसर्स साधना इन्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्रीमती साधना जैन

(अ) प्लॉट न. जे-161,162,163, रीको इन्डस्ट्रीज, भवानीमण्डी, झालावाड़

(ब) छत्री चौक पचपहाड़

गारन्टर

श्रीमति फाल्गुनी खण्डेलवाल पत्नी श्री दिनेश खण्डेलवाल

सवाई माधोपुर वालों का गोदाम स्टेशन रोड़, भवानीमण्डी.....अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्यूरिटीजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ

फाईनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से सम्बोधित किया गया है, बन्धक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

:- निर्णय :-

दिनांक: 18.12.2017

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्जे अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटीजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को कुल रूपये 12,00,000/- दिनांक 21.06.2012 को केश क्रेडिट बाबत उपलब्ध कराई थी व उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्रीमति साधना जैन की प्लॉट न0 161,162,163 रीको इन्डस्ट्रीज भवानीमण्डी स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1031 वर्ग मीटर) तथा हाईपोथिकेशन स्टॉक, रॉ मेटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कनजुमबेल स्टोर, स्पेयर्स, फिक्सड एसेड, मुवेल मशीनरी, पैकिंग मेटेरियल आदि ओर बुक-डेब्ट्स, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 28.07.2017 को एन पी ए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक ने एन पी ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 29.08.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रू0 12,95,772/- दिनांक 27.08.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही आवश्यक हो गया है। सिक्योरिटीजेशन एक्ट की धारा के अंतर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक को उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रतिभूत आस्तियों के सूचारु रूप से विक्रय एवं अन्तरण (नीलामी) हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
झालावाड़

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 28.07.2017 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरुद्ध रूपये 12,95,772/- दिनांक 27.08.2017 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है— बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलंगन शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत परिसम्पत्ति प्लॉट न० 161,162,163 रीको इन्डस्ट्रीज भवानीमण्डी स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1031 वर्ग मीटर) तथा हाईपोथिकेशन स्टॉक, राँ मेटेरियल,स्टाक इन प्रोसेस,फिनिश गुड्स,कनजुमबेल स्टोर,स्पेयर्स ,फिक्सड एसेड, मुवेल मशीनरी,पैकिंग मेटेरियल आदि ओर बुक—डेब्ट्स, इत्यादि सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड़